राजस्थान सरकार
वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग

क्रमांकः एफ.5(थ–75)डीटीए/IFMS 3.0/FVC/ 7711 दिनांक 28/3/2026

विभागाध्यक्ष
समस्त।

विषयः– **IFMS 3.0 पर FVC बिल प्रक्रिया लागू किए जाने बाबत।**

संदर्भः– इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 14.11.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के संदर्भित परिपत्र द्वारा FVC बिल प्रक्रिया IFMS 3.0 सिस्टम में लागू किए जाने के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किए गये थे जिसके अनुसार दिनांक 15.12.2025 से सभी विभागों को FVC बिल (Electricity bill को छोड़कर) IFMS 3.0 से ही प्रोसेस किए जाने थे। IFMS 3.0 पर विकसित FVC बिल प्रक्रिया का उपयोग निदेशालय कोष एवं लेखा के साथ–साथ समस्त कोषालयों/उपकोषालयों द्वारा किया जा रहा है, अन्य विभागों द्वारा ये FVC bill अभी भी पे–मैनेजर पर बनाए जा रहे है।

अतः दिनांक 11.04.2026 से IFMS 3.0 पर विकसित FVC बिल (Electricity bill को छोड़कर) प्रक्रिया समस्त विभागों/कार्यालयों के लिए लागू रहेगी तथा परिपत्र दिनांक 14.11.2025 के अनुसार यह सुविधा पे–मैनेजर पर बन्द कर दी जाएगी।

विभागों/आहरण वितरण अधिकारियों की सुविधा हेतु दिनांक 01.04.2026 से दिनांक 10.04.2026 तक प्रतिदिन 11.00 AM से 1.00 PM तक IFMS 3.0 पर विकसित FVC बिल प्रक्रिया पर प्रशिक्षण कार्यक्रम वी.सी. के माध्यम से आयोजित किया जायेगा। जिसका लिंक पृथक से दिनांक 06.04.2026 को IFMS की वेबसाईट पर उपलब्ध करवा दिया जायेगा।

भवदीया
27/3/2026
(संध्या शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ.5(थ–75)डीटीए/IFMS 3.0/FVC/7712–15 दिनांक 28/3/2026

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, समस्त।
2. वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.), एन.आई.सी. वित्त भवन, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करवाने बाबत।
3. संयुक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को साइट पर अपलोड करवाने हेतु।
4. PWC/Oracle टीम को प्रशिक्षण आयोजित करवाने बाबत।

अतिरिक्त निदेशक एवं पदेन
परियोजना निदेशक (IFMS)

ए–ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर
Website - dta.rajasthan.gov.in
e-mail Id- Jdb-ta-rj@nic.in
Fax - 2742309, Tel- 0141-2743752